बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 179463 पटना, दिनांक 03/03/2014

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(लक्ष्य)102-19/2013

प्रेषक,

अमृत लाल मीणा,
प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी उप विकास आयुक्त,
बिहार ।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत उपलब्ध निधि का उपयोग करने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2013-14 में इंदिरा आवास योजना अंतर्गत उपलब्ध निधि का शतप्रतिशत उपयोग सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश दिये जाते रहे है तथा उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठकों में इसकी समीक्षा की जाती रही है । आप अवगत है कि योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष के अंत में 10 प्रतिशत से अधिक निधि अवशेष रह जाने की स्थिति में अतिरिक्त निधि की कटौती करने का प्रावधान है जिसके चलते जहॉ बेघर परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की इस महत्वपूर्ण योजना का कार्य प्रभावित होता है वही राज्य को वित्तीय क्षति भी होती है । इसके वाबजूद दिनांक 26.02.2014 को हुई उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक में समीक्षा से यह ज्ञात हुआ की कतिपय जिलों ने अब तक वर्ष 2013-14 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को इंदिरा आवास की स्वीकृति देने का कार्य भी पूर्ण नही किया है जो चिन्ता का विषय है क्योंकि वित्तीय वर्ष का अंतिम माह सामने है । इसके अतिरिक्त यह भी ज्ञात हुआ कि कतिपय जिलों में पूर्व के वर्षो की काफी बड़ी राशि उपलब्ध है जिसके उपयोग के लिए जिलों द्वारा कोई कार्य योजना भी तैयार नही किया गया है । जिला में अतिरिक्त निधि उपलब्ध रहने के कारण कोई आर्थिक क्षति नही हो इसे प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित किया जाना अपरिहार्य है । इस संबंध में दिनांक 26.02.2014 को हुई उप विकास आयुक्तों की राज्य स्तरीय बैठक में विस्तार से चर्चा की गई तथा निधि की उपयोगिता सुनिश्चित करने के संबंध में उनके परामर्श एवं व्यवहारिक पक्ष को दृष्टिगत रखते हुए निम्नवत निर्देश दिये जा रहे है :-

No

1. जिन जिलों मे लक्ष्य के अनुरूप लाभुकों को आवास की स्वीकृति एवं सहायता राशि का भुगतान किया जाना अवशेष है । वे अविलम्ब इस कार्य को पूरा करेंगे ।
2. कुछ जिलों के द्वारा बताया गया कि उनके पास पुर्व के वर्षो की अव्यवहृत राशि अवशेष के रूप में पड़ी हुई है जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष के लक्ष्य के विरूद्ध व्यय करना संभव नही है । जिन जिलों में लक्ष्य के पूरा करने के बाद भी काफी बड़ी राशि उपलब्ध हो, उन जिलों के द्वारा उपलब्ध वित्तीय संसाधन के अनुरूप अतिरिक्त लक्ष्य लेकर लाभुकों का चयन करते हुए सहायता राशि का भुगतान करना सुनिश्चित करेंगे । इसमें मागर्दर्शिका के अनुसार अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति एवं अन्य वर्गों के लिए कर्णाकित प्रतिशत का पालन किया जायेगा ।
3. जिन जिलों में अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के लाभुक प्रतीक्षा सूची में अवशेष नहीं हैं और इस वर्ग का लक्ष्य प्रत्यर्पित किया जा चुका है तथा इस वर्ग के लिए निधि अवशेष है वे जिले अवशेष निधि का उपयोग गैर अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के लिए प्रतीक्षा सूची से लाभुकों का चयन कर आवास की स्वीकृति देकर सहायता राशि उपलब्ध करायेंगे ।ऐसा करना इसलिए भी अपरिहार्य है क्योंकि जिलो को राशि मूल लक्ष्यानुसार प्रवाहित हुई है । भौतिक लक्ष्य के हस्तांतरण हो जाने के कारण प्रभावित जिलो मे राशि अधिशेष हो गयी है, जिसका उपयोग आवश्यक है । इसके अंतर्गत लिये गये आवासो को अगामी वित्तीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्य से समायोजन किया जायेगा ।

कृपया उपर्युक्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाय ।

विश्वासभाजन

3/3/14

(अमृत लाल मीणा)

प्रधान सचिव

ज्ञापांक:- 179463 पटना, दिनांक:- 03/03/2014

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

3/3/14

प्रधान सचिव

NO